न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा–II आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 83/2019

1. अनिल कुमार पिता मदन जाति रेगर निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
2. राजू पिता मदन जाति रेगर नाबालिग जरिये माता शांतिबाई पति मदन जाति रेगर निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता पेमा जी जाति चमार निवासी रेण ग्राम पंचायत गेन्दलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. नन्द पिता उदा जाति रेगर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. रतन पिता लक्ष्मण भील निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. भैरू पिता लखमा जी रेगर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार साः बेगूँ जिला चितौडगढ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्रीके.सी.शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी सं.2,3

आदेश दिनांक :– 10.09.2021

श्री

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री के.सी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात ग्राम नन्दवाई प0ह0 नन्दवाई में स्थित है जिसके खाता संख्या 6 अंकित होकर आराजी संख्या 1453/135 रकबा 0.8900 हैक्टर है। विपक्षीगण 1 से लगाकर 4 तक प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात के पडोसी काश्तकार है, प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमा को लेकर आपसी विवाद होने से प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है, पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 05.06.2019 को कहा तो उन्होने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिससे प्रार्थीगण को आराजीयात की पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।
अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नंदवाई प0ह0 नंदवाई की आराजी नम्बर 1453/135 रकबा 0.8900 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 1,4 व 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए जबकि विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट पर सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए वर्णित कृषि आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वर्णित कृषिआराजीयात के खातेदार कृषक है जिन्हे अपनी आराजी की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ.धा.128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई प0ह0नंदवाई की कृषि आराजी संख्या 1453/135 किता– कुल रकबा 0.8900 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिती में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2021/181 दिनांक :– 10-9-2021

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को भेजकर लेख है कि [illegible]